राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–52 / 2024

खगेश्वर प्रसाद सिंह बनाम् संयुक्ता देवी।

यह वाद श्री खगेश्वर प्रसाद सिंह, पिता–स्व0 वैशाखी सिंह, पता–किशनपुर अमखोरिया, थाना–सजौर, प्रखण्ड–साहकुण्ड, जिला–भागलपुर के परिवाद–पत्र में लगाये गये आरोपों को प्रथम दृष्ट्या सही पाये जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–2120, दिनांक–25.09.2024 पर बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136(2) में प्रदत्त शाक्तियों के तहत आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान के आधार पर प्रारंभ किया गया।

प्रतिवादी श्रीमती संयुक्ता देवी के संबंध में यह प्रतिवेदन प्राप्त हुआ कि श्रीमती संयुक्ता देवी, दिनांक–22.10.2021 से दिनांक–29.06.2024 तक V.R.P.(जीविका) के पद पर कार्यरत रही हैं तथा बिना त्याग–पत्र दिये, ग्राम कचहरी किशनपुर, अमखोरिया के वार्ड संख्या–01 के पंच पद पर निर्वाचित हुई हैं। चूँकि V.R.P.(जीविका) के पद के पद पर कार्य करने हेतु मानदेय का प्रावधान है एवं उस मानदेय में राज्य सरकार से प्राप्त निधि का उपयोग भी किया जाता है, इस प्रकार प्रतिवादी श्रीमती संयुक्ता देवी द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136 (1)(घ) सह पठित धारा–136(2) के तहत जीविका के अन्तर्गत V.R.P. (Village Resource Person) के पद पर कार्यरत रहते हुए, पंच, ग्राम पंचायत किशनपुर अमखोरिया) प्रखण्ड–साहपुर, जिला–भागलपुर के पद पर निर्वाचित हो गयी हैं, जो कि चुनाव पूर्व अयोग्यता के अन्तर्गत समाहित है।

नैसर्गिक–न्याय के नियम के तहत परिवादी / वादी एवं प्रतिवादी श्रीमती संयुक्ता देवी, (पंच, ग्राम पंचायत किशनपुर अमखोरिया) प्रखण्ड–साहपुर, जिला–भागलपुर को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु पक्षकार मानते हुये, नोटिस निर्गत किया गया।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में नोटिस तामिला के बावजूद दिनांक–19.11.2024 तथा दिनांक–19.12. 2024 को दोनों पक्ष अनुपस्थित रहे। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **भागलपुर** द्वारा श्री जनार्दन कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं श्री विकास कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **भागलपुर** को अभिलेखों का सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु प्राधिकृत किया गया।

3. वादी एवं प्रतिवादी के अनुपस्थिति के कारण जिला प्रशासन के तरफ से उपलब्ध कराये गये अभिलेखों / प्रतिवेदनों के आधार पर वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया है।

4. इस वाद का मूल आधार श्री खगेश्वर प्रसाद सिंह का परिवाद–पत्र एवं इसके साथ संलग्न अभिलेख है, जिसको उनके द्वारा दिनांक–16.05.2024 को आयोग कार्यालय में दिया गया था। परिवाद–पत्र में उनके द्वारा श्रीमती संयुक्ता देवी पर यह आरोप लगाया गया कि श्रीमती संयुक्ता देवी पंच पद के साथ–साथ जीविका में भी V.R.P. (Village Resource Person) के पद पर कार्यरत

है। अपने दावें के पुष्टि के लिए उनके द्वारा प्रतिवादी के मानदेय प्राप्ति से संबंधित अभिलेखों यथा–Bank Statement आदि की प्रति को संलग्न किया गया।

5. प्राप्त परिवाद–पत्र की जाँच हेतु आयोग के पत्रांक–2359, दिनांक–21.05.2024 के द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, भागलपुर से अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में उनके द्वारा पत्रांक–2120, दिनांक–25.09.2024 के माध्यम से विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रभावकारी अंश निम्नवत् है:–

''उपरोक्त के संदर्भ में श्रीमती संयुक्ता देवी को जीविका भागलपुर से किये गये भुगतान की सूची माँग की गयी। जिसके आलोक में जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका), भागलपुर ने पत्रांक–235, दिनांक–21.08.2024 द्वारा वेतन पूर्जा उपलब्ध कराया है एवं जिला पंचायत राज कर्यालय, भागलपुर द्वारा **''पंच''** पद के मानदेय भुगतान की पर्ची की छायाप्रति संलग्न है।

शबनम देवी(सरपंच), ग्राम कचहरी किसनपुर अमखोरिया के पत्रांक–63/2024, दिनांक–24.07.2024 द्वारा प्रमाण–पत्र निर्गत किया है जिसमें अंकित किया गया है कि श्रीमती संयुक्ता देवी, पंच (वार्ड संख्या–01, ग्राम कचहरी किसनपुर अमखोरिया) ने दिनांक–29.06.2024 को पद त्याग किया है एवं सरपंच द्वारा स्वीकृत है।

प्रतिवादी के स्वयं त्याग–पत्र दिये जाने के कारण उनपर निरर्हता संबंधी वाद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया, परन्तु एक ही समय में कोई व्यक्ति एक ही पद पर आसीन रह सकता है तथा उसका लाभ प्राप्त कर सकता है। विचाराधीन मामले में प्रतिवादी कुछ समय तक त्याग–पत्र देने के पूर्व तक एक साथ जीविका के V.R.P. (Village Resource Person) **एवं पंच के पद पर कार्यरत रही हैं। अतः पंच के रूप में उनके द्वारा प्राप्त किये गये मानदेय की राशि वसूलनीय है। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, भागलपुर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेगें।**

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
31.05.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
31.05.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–52/2024 पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि–सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–52/2024 2362 पटना, दिनांक 31.5.25

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **भागलपुर**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **भागलपुर** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **भागलपुर** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

31/5/25
विशेष कार्य पदाधिकारी